न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तुलछी व .... बनाम .... तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र अ.धा. 136 एलआर .... मु.नं. 01 वर्ष 2026

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
01.01.2026	प्रार्थीया तुलछी पत्नी सुखदेव सिंह जाति जाट निवासी ग्राम गोठड़ा भूकरान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम गोठड़ा भूकरान पटवार हल्का गोठड़ा भूकरान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 95, 96 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि तुलछी पुत्री सुखदेवसिंह दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीया के नाम की सही प्रविष्टि तुलछी पत्नी सुखदेव सिंह है। प्रार्थीया के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि तुलछी पत्नी सुखदेव सिंह अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि तुलछी पुत्री सुखदेवसिंह के स्थान पर तुलछी पत्नी सुखदेव सिंह दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीया के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/4288 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गोठड़ा भूकरान पटवार हल्का गोठड़ा भूकरान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 95, 96 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि तुलछीं पुत्री सुखदेवसिंह के स्थान पर तुलछी पत्नी सुखदेव सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/4288 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.06 12:12:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner